

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।**

आज दिनांक 28.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 28.10.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



बैंक चेकिंग



मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.10.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधित समस्याओं/अपराधों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई, जिनमें शामिल हैं:

वूमेन पॉवर लाइन – 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा – 112

एम्बुलेंस सेवा – 108, चाइल्ड लाइन – 1098, स्वास्थ्य सेवा – 102

महिला हेल्पलाइन – 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन – 1076, साइबर हेल्पलाइन – 1930

कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया गया। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किए गए।

इस अवसर पर थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मिशन शक्ति केन्द्रों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, मार्गदर्शन और सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 28.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित उ0नि0 दिनेश सिंह चन्देल मय हमराह कां0 उमेशचन्द्र व कां0 आशीष सरोज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मनोज सुल्लेरे पुत्र नन्दन सुल्लेरे उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम रावतपुरा खालसा थाना अजनर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम गंज थाना अजनर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 264/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश सिंह चन्देल
2. कां0 उमेशचन्द्र
3. कां0 आशीष कुमार सरोज

गिरफ्तार अभियुक्त -

मनोज सुल्लेरे पुत्र नन्दन सुल्लेरे उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम रावतपुरा खालसा थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना।



भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनपद महोबा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनपद स्तर पर विभिन्न जनजागरूकता एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 28.10.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन महोबा स्थित सभागार में आवासीय परिसर में निवासरत पुलिस परिवारजनों के बच्चों द्वारा “राष्ट्र निर्माण में पुलिस की भूमिका” विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति, एकता, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा की भावना को सुदृढ़ करना रहा। प्रतिभागियों ने अपने विचारों के माध्यम से पुलिस की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन, प्रतियोगिता समिति के सदस्यगण एवं पुलिस परिवारजन उपस्थित रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा आगामी दिनों में भी राष्ट्रीय एकता दिवस की श्रृंखला में निबंध प्रतियोगिता, एकता दौड़, शपथ कार्यक्रम एवं परिचर्चा जैसे विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।



इंस्टाग्राम पर अभद्र टिप्पणी कर वीडियो बनाने वाले 02 युवकों को तलब कर की गई विधिक कार्यवाही।

विगत दिनों थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रामकथा मार्ग से सम्बन्धित एक वीडियो इंस्टाग्राम से प्राप्त हुआ था, जिसमें एक युवक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाया गया था, उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा तत्काल जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह (चौकी प्रभारी मेडिकल) द्वारा की गई जांच के दौरान यह पाया गया कि वायरल वीडियो में अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक संदीप राजपूत एवं आलोक वर्मा हैं। दोनों युवकों की पहचान कर उन्हें थाने पर तलब कर पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान युवकों द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई, जिसके उपरांत वायरल वीडियो तत्काल सोशल मीडिया से हटवाया गया तथा विधिक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार जुर्माना किया गया।

दोनों युवकों ने लिखित रूप में माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराने का आश्वासन भी दिया। उन्हें महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान के प्रति सजग रहने एवं सोशल मीडिया के मर्यादित उपयोग हेतु सख्त हिदायत दी गई।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी मेडिकल, थाना कोतवाली नगर, महोबा।
2. हे0का0 शिवमहन्त मौर्य, थाना कोतवाली नगर, महोबा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपद के नागरिकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जिम्मेदाराना एवं मर्यादित उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, किन्तु इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावना आहत करने, अभद्र टिप्पणी करने या असंवैधानिक सामग्री प्रसारित करने के लिए करना दंडनीय अपराध है।

आमजन से अपील की गई कि वे सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में करें, किसी भी प्रकार की भ्रामक, असत्य या अपमानजनक सामग्री साझा न करें, तथा ऐसी सामग्री दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

